

विषय-सूची			
क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	4
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	6
7.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	7
8.	वित्त का सार	1.3.1	10
9.	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सार	1.3.2	11
10.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.4	12
11.	प्रमुख राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य व उनके सापेक्ष उपलब्धियाँ	1.4.1	13
12.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.4.2	16
13.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.4.3	17
14.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन	1.4.4	19
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.5	20
16.	लेखापरीक्षा के उपरांत - घाटा	1.5.1	20
17.	लेखापरीक्षा के उपरांत - कुल लोक ऋण	1.5.2	21
18.	निष्कर्ष	1.6	23
19.	संस्तुति	1.7	24
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2022-23 के सापेक्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	25
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	26
22.	राज्य के संसाधन	2.3	27
23.	राज्य की प्राप्ति	2.3.1	27

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	28
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	28
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	30
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	31
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	32
29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	33
30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	36
31.	केन्द्रीय अंतरण	2.3.4	36
32.	केन्द्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	37
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	39
34.	एकल नोडल एजेंसी	2.3.4.3	39
35.	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.4	40
36.	राजस्व व्यय के रूप में दर्ज राजस्व की वापसी	2.3.4.5	41
37.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.4	41
38.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.5	42
39.	संसाधनों का उपयोग	2.6	43
40.	राजस्व व्यय	2.6.1	46
41.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.6.1.1	47
42.	प्रतिबद्ध व्यय	2.6.2	48
43.	अन्य प्रतिबद्ध व्यय	2.6.2.1	51
44.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.2	52
45.	ब्याज भुगतान	2.6.2.3	53
46.	पेंशन	2.6.2.4	53
47.	सब्सिडी	2.6.2.5	55
48.	अंतर्निहित सब्सिडी	2.6.2.6	56
49.	अनम्य व्यय	2.6.2.7	56
50.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.8	56
51.	पूँजीगत व्यय	2.6.3	58
52.	पूँजीगत व्यय में बड़े परिवर्तन	2.6.3.1	59
53.	पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	60

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
54.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	65
55.	लोक लेखा	2.8	67
56.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	67
57.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	69
58.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	69
59.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	70
60.	राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस डी एम एफ)	2.8.2.3	71
61.	प्रतिभूति मोचन निधि	2.8.2.4	72
62.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	2.8.2.5	73
63.	आरक्षित निधियों एवं ब्याज युक्त जमाओं के सापेक्ष ब्याज देयताओं का निर्वहन न करना	2.8.3	73
64.	ऋण प्रबंधन	2.9	74
65.	समग्र दायित्व की प्रवृत्ति	2.9.1	74
66.	ऋण संरचना: घटक	2.9.2	75
67.	वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया समग्र देयताओं का विवरण	2.9.3	76
68.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ	2.9.4	77
69.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	77
70.	ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	79
71.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	81
72.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.8	86
73.	प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक देयताएं	2.10	87
74.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	89
75.	नकद बकाये का निवेश	2.11.1	90
76.	निष्कर्ष	2.12	92
77.	संस्तुतियाँ	2.13	93
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
78.	बजट प्रक्रिया	3.1	95
79.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	96
80.	जेंडर बजटिंग	3.2.1	99
81.	अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) बजट	3.2.1(क)	100

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
82.	आउटकम बजट	3.2.1(ख)	101
83.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश	3.2.2	101
84.	भारित एवं मतदेय वितरण	3.2.3	102
85.	बजटीय सटीकता	3.2.4	102
86.	विनियोग लेखे	3.3	104
87.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	104
88.	विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना	3.3.1.1	104
89.	पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमत	3.3.2	104
90.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.3	106
91.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है	3.4	110
92.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	110
93.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण	3.5	112
94.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ	3.5.1	115
95.	₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	116
96.	उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण	3.5.3	118
97.	वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	118
98.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	119
99.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	120
100.	2023-24 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	120
101.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	120
102.	कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	121
103.	विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण	3.6.4	122

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
104.	पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान	3.7	125
105.	बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल	3.8	126
106.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	130
107.	पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन	3.10	131
108.	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.11	131
109.	व्यय की तीव्रता	3.12	133
110.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.13	136
111.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.13.1	136
112.	केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय	3.14	148
113.	निष्कर्ष	3.15	149
114.	संस्तुतियाँ	3.16	150
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य			
115.	लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण	4.1	151
116.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाराशियों के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव	4.1.1	151
117.	राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.1.2	152
118.	स्थानीय निधियों का जमा	4.1.3	153
119.	पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण	4.2	154
120.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.2.1	154
121.	सार आकस्मिक बिल	4.2.2	157
122.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नामित बैंक खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ	4.2.3	158
123.	व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता	4.2.4	159
124.	लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.2.5	160
125.	माप संबंधी प्रकरण	4.3	164
126.	प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेष	4.3.1	164
127.	विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	4.3.2	169
128.	नकद शेष राशि का मिलान	4.3.3	171

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
129.	प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण	4.4	171
130.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.4.1	171
131.	स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जमा करना	4.4.2	173
132.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.4.3	174
133.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.4.4	175
134.	अन्य प्रकरण	4.5	175
135.	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि	4.5.1	175
136.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.5.2	175
137.	निष्कर्ष	4.6	175
138.	संस्तुतियाँ	4.7	176
परिशिष्ट			
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा		179
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2024 तक उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति		181
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आंकड़े		183
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली		187
परिशिष्ट-4.1	शब्दावली		189